



1 जुलाई 2024 से देश में लागू होने वाले
नए कानूनी प्रावधानों को जानें
सजग नागरिक बनें

C
M
Y
K
आप कहाँ से भी किसी भी थाने में जाकर FIR दर्ज करवा सकते हैं, वहाँ से संबंधित थाने में इसे भेज दिया जाएगा। आप ऑनलाइन या ई-मेल से भी प्राथमिकी दर्ज करवा सकते हैं।

प्राथमिकी के बाद अनुसंधान में क्या प्रगति हुई है, इसकी जानकारी जांच अधिकारी को पीड़ित या सूचक को देनी होगी। पहले थाने में जाकर जानकारी लेनी पड़ती थी।

संगठित अपराध, ड्रापटमारी और मांब लिंचिंग को भी नए अपराध में शामिल किया गया है। छोटे अपराधों के लिए सीधे जेल की जगह आपाएँ से सामाजिक/सामुदायिक सेवा करने का भी दण्ड दिया जा सकता है।

C
M
Y
K
पहले जहां अपराध के बाद केवल दण्ड अधिकृत न्याय व्यवस्था थी, वहाँ अब दण्ड की जगह न्याय व्यवस्था पर जोर है यानी दण्ड ही केवल जा हो, यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो कि पीड़ितों को न्याय भी मिले।


18 साल से कम आयु की महिला के साथ सामुदायिक दुष्कर्म के अपराधियों को मृत्युदण्ड भी दिया जा सकता है। जबकि 18 साल से अधिक आयु की महिला के साथ सामुदायिक दुष्कर्म के अपराधियों को 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है।

नए कानूनी प्रावधानों के अनुसार, महिला से विवाह करने के झंझे रचन देकर थारीरिक संबंध बनाने के दोषी के लिए अब 10 वर्ष तक की सजा है। दुष्कर्म पीड़ितों का नेडिकल इरोट अब चिकित्सक को 7 दिन के भीतर देने होंगे।

नए कानूनी प्रावधानों में बालक (child) को परिभाषित किया गया है जो IPC में नहीं था। महिला एवं बालकों के विलुप्त अपराध को लिंग तटस्थ (Gender Neutral) बना दिया गया है, इसमें उभयलिंगी (Transgender) को भी सम्मालित किया गया है।

न्याय

की नई परिभाषा



अपराधिक न्याय प्रणाली की दिशा में तीन नए अपराधिक कानून-
भारतीय न्याय संहिता (BNS),
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)
लागू होंगे।

ये कानून भारतीय दंड संहिता (IPC),
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और 1872 के
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर
लागू होंगे।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

श्री चम्पाई सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के व्यापक इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, इसमें ऑडियो-वीडियो संसाधनों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक सूचना माध्यम का भी इस्तेमाल किया जा सकता।

समन, तामिला का सबूत, दस्तावेजी समन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूचना माध्यम का प्रयोग एवं साक्ष्य केवल लिखित नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग कर दरवा जा सकता।

तलावी या जल्दी की प्रक्रिया में ऑडियो-वीडियो संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या रिकॉर्ड को विधिक दस्तावेज के रूप में मान्यता होगी।

फोटोसिक जांचकर्ता को अपराध स्थल पर जाकर साक्ष्य संकलन करने की व्यवस्था होगी। चिकित्सक अभियुक्त को जैविक परीक्षण कर चिकित्सीय साक्ष्य एकत्रित करेंगे।

नए कानूनी प्रावधानों के तहत अब कम समय में अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया सम्पन्न करने की व्यवस्था है।

अवैध रूप से जमा की गयी 3,95,000 घन रंची के व्यवसायी मुख्यमंत्री से मिले, सुरक्षा का मिला आधासन फीट बालू जब्त, डीसी ने नीलामी का दिया निर्देश

गंगी (जेंडी): रांची डीसी राहुल कुमार निहार को अध्यक्ष खनन की रोकथाम को लेकर विलासरीय टाइट फोर्स समीक्षा की बैठक हुई। समारोह में आयोजित बैठक में समीक्षा के सदस्य उपस्थित थे। डीसी ने अवैध खनन, परिवर्तन एवं भवितव्य के रोकथाम के लिए की गयी विलासरीय की समीक्षा की। जिला खनन पदाधिकारी ने बाबत की रांची जिले में अवैध खनन, परिवर्तन, भागदण्ड को लेकर विलासरीय खनन की अधिकारी के लिए उल्लंघन एवं उल्लंघन करने को लेकर अधिकारी के विवर १३ प्रायमिति की गयी थी। साथ ही ही ३१.५५ लाख जुर्माना भी बसूत गया।

जिला खनन पदाधिकारी ने समिति के बाबत ग्राम सभा में विनियोग के लिए बालू के अवैध रूप से जमा की गयी कुल समीक्षा के बाबत ग्राम सभा से संबंधित प्रतिवेदन उल्लंघन करने की गयी।



डीसी ने बैठक वर्षे से २००००० घन फीट, बुद्ध वर्षे तक अवैध खनन, भागदण्ड खनन की अधिकारी की उल्लंघन एवं उल्लंघन करने को लेकर अधिकारी के विवर १३ प्रायमिति की गयी थी। साथ ही ही ३१.५५ लाख जुर्माना भी बसूत गया।

